प्र.सं. 5/13 किशनलाल बनाम मोतीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कविता, तहसील गिर्वा में खाता संख्या 187 की आराजी नंबर 1657 रकबा 0.5600 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1665 रकबा 0.0900 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 3/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 2/5 हिस्सा है। खाता संख्या 189 की आराजी नंबर 1498 रकबा 0.1200 हैक्टर, आराजी नंबर 1499 रकबा 0.0300 हैक्टर, आराजी नंबर 1500 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.1900 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/3 हिस्सा है। खाता संख्या 40 की आराजी नंबर 2088 रकबा 0.2200 हैक्टर, आराजी नंबर 2089 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.3400 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा है। खाता संख्या 186 की कुल किता 14 रकबा 2.0700 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 का 4/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा है। खाता संख्या 44 की आराजी नंबर 1469 रकबा 0.0500 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 8 का 7/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 1/30 हिस्सा, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 11 का 1/4 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, किन्तु 32 वर्षो से अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन भूमि सुधार एवं बैंक से ऋण आदि में दिकक्त आने से विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात के अतिरिक्त आराजी नंबर 883 रकबा 0.01400 हैक्टर, 884 रकबा 0.2502 हैक्टर एवं 1665 रकबा 0.0900 हैक्टर संयुक्त स्वामित्व की है, जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ने मिलकर खुर्द–बुर्द कर दिया है तथा जानबूझकर उसका	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:05 IST
Reason: SelfAttested

हवाला वाद में नहीं दिया गया है। अतः उक्त आराजियात को सम्मिलित करते हुए बंटवारा किया जावे। ,

प्रतिवादी संख्या 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने अलग–अलग खाते में अलग–अलग पक्षकार होते हुए भी उन सबका एक ही दावा पेश किया है, जो मिस जोईण्र्डस ऑफ पार्टीज व मिस जोईण्र्डस ऑफ एक्शन के होने से दावा नहीं चल सकता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 7 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.05.2010 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य बंटवारा हो चुका था, जिसमें आराजी नंबर 883 व 884 की जमीन मोतीलाल व दयालाल को दी गयी व सोहनलाल को अन्य जमीन दी गयी, परन्तु खाते में सोहनलाल का नाम होने से इसका विक्रय अपीलान्ट के नाम नहीं हो सका व उसका ईकरार अपीलान्ट ने अपने हक में लिखा रखा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नजर अंदाज कर दिया है। आराजी नंबर 883 व 884 मोतीलाल व दयालाल के हिस्से में रखी जानी थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। वादी द्वारा सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय साक्ष्यों के विपरीत किया है। इसी प्रकार अन्य तनकियों का भी साक्ष्यों अनुसार विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी शामलाती आराजियात को शामिल किये बिना बंटवारे की डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः नये सिरे से बंटवारा करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:05 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाबदावे के विशेष कथन में अंकित किया है कि वाद वर्णित आराजीयात के अतिरिक्त आराजी नंबर 883 रकबा 0.01400 हैक्टर, 884 रकबा 0.2502 हैक्टर एवं 1665 रकबा 0.0900 हैक्टर भूमि भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त स्वामित्व की भूमि है, जिसे वादी ने जानबूझकर वाद में अंकित नहीं किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त आराजियात का कोई हवाला नहीं दिया है। इसके अलावा वादी ने अपने वाद की कलम संख्या 7 में पक्षकारों के मध्य पूर्व में बाहमी बंटवारा होने का कथन किया गया है, जिसका भी कोई हवाला अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नहीं दिया है। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने से अपीलान्ट जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 10 था, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 71/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2010 अपास्त की जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावे में अंकित संयुक्त खातेदारी की समस्त आराजियात को शामिल करते हुए तथा सभी पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.02.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.16 11:56:05 IST
Reason: SelfAttested